

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



File Number 18

Minutes of Meetings of Management Committee.

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE BILASPUR (C.G.)

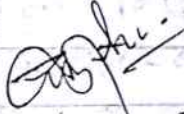
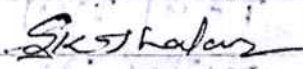
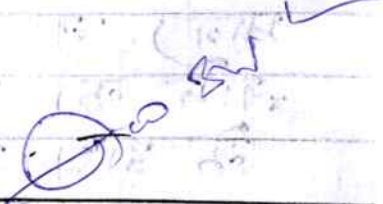
Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)



Minutes of meeting of management committee

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

डी० पी० वि० वि० महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
की छात्रासन समिति की आपात बैठक दिनांक 30/08/2024
दिन - शनिवार - समय - सुबह 5-30 बजे
स्थान - अचार्य कक्षा, डी० पी० वि० वि० महाविद्यालय
अमरगढ़ नगर सीपल रोड बिलासपुर (छ.ग.)
बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्यगण/पदाधिकारी
उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

क्र.सं.	सदस्यो के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अमरावत शुक्ला	अध्यक्ष	
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	
03	श्री मंदकिशोर तिवारी	सदस्य	
04	श्री नरेन्द्र कटवाहा	सदस्य	—
05	श्री सोमेश तिवारी	वि. वि. उतिगधि	सोमेश
06	डॉ. अरविनेश शर्मा	—	—
07	श्री सैलेश ठाकुर	विभागाध्यक्ष	
08	श्री धर्मेश शर्मा	—	
09	—	शांति उतिगधि	—
10	डॉ. प्र० वी० सोनी	अचार्य/प्रिन्सिपल	

172

विषय क्रमांक :- 01
महाविद्यालय के प्राचार्य के सेवा
विस्तार एवं परिनियम - 28 के तहत
सहायक प्राध्यापक पद हेतु चयनित
उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार

निर्णय :- समिति के माननीय अध्यक्ष
तथा सदस्यों के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत
किया गया कि महाविद्यालय के प्राचार्य
डा० अन्नु भाई सोनी गत वर्ष मार्च 2023
(31 मार्च 2023) में अपनी आधिनायिकी
आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए, एवं
उन्हें प्रशासन कमिटी की आपात बैठक
दिनांक 28 मार्च 2023 में विजय क्रमांक 01
तथा निर्णय क्रमांक 01 के तहत लिये गये
निर्णयानुसार नियमानुसार (वि. वि. अनुदान
आयोग के मार्गदर्शक सिद्धान्त दिनांक 30 जून
2010 की कंडिका 8F) एक वर्ष का सेवा
विस्तार दिनांक 31 मार्च 2024 तक के लिये
दी गयी थी। सदस्यों के द्वारा उनकी सेवा
में पुनः विस्तार लिये जाने पर विचार
किया गया एवं सर्वसम्मति से उन्हें प्रथम
चरण में 31 मार्च 2025 तक एवं बार कोहिल
आन इंडिया की आवश्यकता अनुसार 31 मार्च
2026 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति
दी गई। डा० अन्नु भाई सोनी प्राचार्य के
निवृत्ति पर उनके वर्तमान में दिये जा रहे
निश्चित वेतन 60,000 (छाठ हजार रुपये
मात्र) में वसु प्रतिशत की वृद्धि किये
जाने की भी स्वीकृति माननीय सदस्यों
के द्वारा दी गई।

समिति के माननीय अध्यक्ष

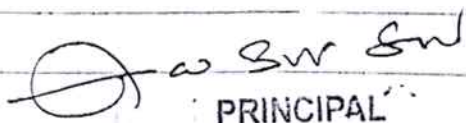
जिन सदस्यों के रुझान प्रचार के द्वारा निर्गत
दिने परि नियम 28 के तहत इतिहास, समाजशास्त्र
एवं नागरिक विषयों में अध्यापन कार्य हेतु
सहायक अध्यापकों के चयन हेतु गठित
का स्थापना समिति के द्वारा अनुमोदित चयन
सूची एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में
वि. वि. द्वारा जारी पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया
गया, समिति के सदस्यों ने चयन सूची में
प्रस्ताव वरीयता प्राप्त निम्न उम्मीदवारों को
नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए निर्देश
प्रचार्य को दिया

क्रमांक नाम नियम

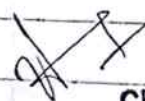
- 01 आर. लंका तिबारी इतिहास
- 02 सु. अलका उडलेना समाजशास्त्र
- 03 श्री निमेश रवोडियार नागरिक
- 04 आर. अंकिता शर्मा नागरिक

समिति के माननीय सदस्यों का यह भी
आश्वासन था कि नियुक्ति करने जा रहे
उपरोक्त सहायक अध्यापकों को 15600/- रुपये
का मूल वेतन एवं 5000/- मंद्गाई प्रस्ताव दिया
जावे। नियुक्ति तीन वर्ष की परीबी ई। पर
होगी एवं सेवा में असंतुष्ट होने पर दोनों
पक्षों के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना पर
सेवा समाप्त या पद-त्याग किया जा सकेगा

धम्पवाद आपन के काम की छत्र समापन
की योजना की गई

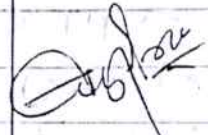
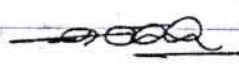
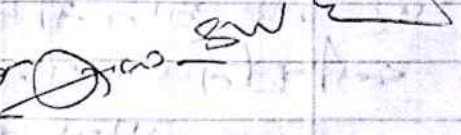


PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)



Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी० पी० वि० वि० महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
की छात्रासन समिति की आयोजित बैठक दिनांक 27/09/23
दिन बुधवार - समय: सुबह - 05.00 बजे
स्थान: छात्रासन कक्ष डी० पी० वि० महाविद्यालय
उमरगढ़ नगर, सीपत रोड बिलासपुर (छ.ग.)
बैठक में निम्न लिखित माननीय सदस्यगण/
प्रकारिकारी उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

सदस्यो के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1 श्री अनुराग शुक्ला	अध्यक्ष	
2 श्री सुभाष मिश्रा	सहस्य	
3 श्री नैदक्षिणेश तिवारी	सदस्य	
4 श्री नरेन्द्र कटवाहा	दानदाता सहस्य	—
5 डॉ० अश्विनेश शर्मा	वि० वि० उपाध्याय	
6 श्री योगेश तिवारी	—	—
7 श्री सलोम ठाकुर	वि० वि० उपाध्याय	
8 श्री धर्मेन्द्र शर्मा	—	
9 —	आसक्ति उपाध्याय	—
10 डॉ० आनंद सोनी	छात्रासन/पेरेल सचिव	

(188)

विषय क्रमांक 01 :- ध्वजावाहक भवन के द्वितीय तल पर कुछ / अध्ययन कक्षा एवं सहायक कमरों के निर्माण किये जाने पर पार्किंग हेतु गार्डन के सामने की रवाली जमीन पर पेवर ब्लॉक का कार्य करवाये जाने पर विचार

निर्णय :- 1 - माननीय सदस्यों ने विचारोपरान्त यह मत व्यक्त किया कि ध्वजावाहक भवन के द्वितीय तल में निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व भवन की भार वहन क्षमता (Load Bearing Capacity) की जाँच कर ली जाय ताकि जो भी संरचना विशेषज्ञ (Structural Engineer/Engineer) से करवाया जाना इच्छित होगा। यदि संरचना विशेषज्ञ की अनुशंसा निर्माण हेतु जाँच हो जाती है तो निर्माण कार्य किये जाने की स्वीकृति दी जाती है, इस कार्य हेतु प्राचार्य को अधिवृत्त किया गया।

गार्डन के सामने के दिहले जिले वर्तमान स्टैंड, एवं ध्वजावाहक भवन के सामने का खुला दिहला सामाहित है जो पार्किंग हेतु पेवर ब्लॉक कार्य किये जाने की अनुमति प्रस्तुत आकलन पत्र (Estimate) के आधार पर नियमानुसार करवाये जाने की स्वीकृति माननीय सदस्यों द्वारा प्रदान की गई।

ध्वजावाहक भवन के पीछे के रवाली स्थान पर क्लिंटीकरण एवं बर्फी पर शौचालय निर्माण के लिये प्रस्तुत आकलन पत्र (Estimate) पर भी माननीय सदस्यों ने सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की।

प्राचार्य द्वारा ध्वजावाहक भवन के द्वितीय तल पर प्रस्तावित कुछ / अध्ययन कक्षा

एवं हाल में निर्धारित हेतु में 31.08 लाख का आकलन पत्र (Estimate) प्रस्तुत किया

विषय क्रमांक 02 :-

प्रचार्य द्वारा माननीय करद्वों को यह जानकारी दी गई, कि मेलतय के माननीय विधायक श्री रजनीश सिंह के द्वारा महाविद्यालय परिसर में एक कक्ष का निर्माण किये जाने हेतु तीन लाख रुपये की राशि विधायक मिथि से स्वीकृत की गई है, इस धन पर माननीय करद्वों ने हर्ष उद्भट करने हुये माननीय विधायक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं प्रचार्य को निर्देशित किया कि वे वर्तमान खाली बाक भवन के सामने बांझड़ी वाला एवं आवागमन के पैर के पास वाले खाली ज्वाला पर निर्माण कार्य करवाये।

विषय क्रमांक 03 :- नेक (NAAC) की तैयारी पर होने वाले व्यय के आकलन पर विचार

निर्णय क्रमांक 03 - प्रचार्य ने माननीय करद्वों को जानकारी दी, कि महाविद्यालय NAAC की तैयारी में अपनी तरफ से धूल, रबड़ी, डोजर, स्मार्ट क्लॉक समय (02) गुजाल हेतु पुस्तकों एवं पत्रिकाओं (विधि पत्रिका) एन एस, एल, की कामगी, पाँचर उन कक्षा में लैमश, ए.ली. एवं अन्य पुस्तक भंडो पर लगभग 38,54,000 रुपये (देरिनये संलग्न A) व्यय कर चुका है, एवं लगभग 63,50,000 : 0 (देरिनये संलग्न A) आगामी समय में व्यय किये जाने की योजना है,

इस तथ्य से पुस्तक खरीदी संवत् १२ खरीदी
एवं पुनर्निर्माण तथा आलमारी में दो और
समाई कला ला रख बनाया जाता सम्मिलित
है।

माननीय कक्षों ने निम्नोक्तान्त
इसरोक्त प्रस्तावित तथ्यों को नियमों के
अनुसार खरीदी पर तय करने की स्वीकृति
प्रदान की।

ॐ स्व स्व

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

✓

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(164)

डॉ. पी. विठ्ठल विधि महाविद्यालय, विजापुर (छत्तीसगढ़)
 की छात्र संसिद्धि की अगला बैठक दिनांक 28/03/2022
 दिन मंगलवार समय सुंका 5.30 बजे
 (छात्र-अध्यक्ष कक्ष, डॉ. पी. विठ्ठल विधि महाविद्यालय
 अशोक नगर, सोपल रोड विजापुर (छत्तीसगढ़)
 बैठक में निम्न लिखित माननीय सदस्यगण/
 पदाधिकारी उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

क्र.सं.	सदस्य के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुशासित शुक्ला	अध्यक्ष	✓
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	✓
03	श्री नंदकिशोर तिवारी	सदस्य	✓
04	श्री नरेन्द्र कदवाहा	हानकारा सदस्य	-
05	डॉ. अखिलेश शर्मा	वि. वि. परिनिधि	-
06	जो. सोमेश तिवारी	वि. वि. परिनिधि	-
07	जो. निजकुमार पटेल	वि. वि. परिनिधि	-
08	जो. धर्मेश शर्मा	वि. वि. परिनिधि	✓
09	-	शासकीय परिनिधि	-
10	डॉ. अश्विनी सोनी	अध्यक्ष/सचिव	✓

विषय क्रमांक 01 - आगामी दिनांक 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे प्राचार्य के पश्चात महाविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था किये जाने के संबंध में विचार

निर्णय क्रमांक :- 01

समिति के माननीय सदस्यों को यह जानकारी दी गई, कि प्राचार्य डा० अन्नू भाई सोनी आगामी 31 मार्च 2023 को 65 वर्ष की आधिकारिक आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अतः उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात महाविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था का संभालन किस प्रकार से होगा, इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस पर माननीय सदस्यों के द्वारा यह निश्चित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.D.C.) के मार्गदर्शक सिद्धान्त दिनांक 30 जून 2010 की कंडिका 8(F) के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृत्त हो रहे प्राचार्य डा० अन्नू भाई सोनी को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है। उपरोक्त पुनर्नियुक्ति प्रथम बार में तीन वर्ष एवं द्वितीय बार में दो वर्षों के लिये दी जा सकेगी, सदस्यों का यह भी मत था कि यद्यपि मार्गदर्शक सिद्धान्त में प्रथम बार पुनर्नियुक्ति तीन वर्षों के लिये किये जाने का प्रावधान है, किन्तु प्रशासन समिति उन्हें आगामी 31 मार्च 2024 तक के लिये फिलहाल नियुक्त करती है, आगे आवश्यकतानुसार पुनः पुनर्नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा। पुनर्नियुक्ति पर डा० अन्नू भाई सोनी को स्नातक स्तर पर उपयुक्त वेतन एवं कर्मचारी भविष्य निधि में नियमानुसार अंशदान की पावता होगी। समिति ने अपने इस

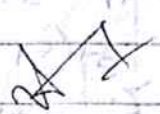
168

निर्णय से संबंधित विभागों / संस्थाओं को यथा
अवसर बिहारी बाजपेयी वि. वि., नगर कॉमिल आन
इंडिया, उच्च शिक्षा संचालनालय चण्डीगढ़ शासन
को पत्र के माध्यम से अवगत कराये जाने का
भी निर्देश दिया।

प्राचार्य के द्वारा दाम्पत्यवाद राजन के साथ
बाँटने के समापन की घोषणा की गई।

 DR DW & W

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)


Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी.पी. वि. विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
की छात्रासन समिति की आयोजित बैठक दिनांक
24/03/2023 दिन शुक्रवार समय संध्या 5.30 बजे
स्थान - छात्राधी कक्षा डी.पी. वि. विधि महाविद्यालय
असोज नगर सीपल रोड बिलासपुर (छ.ग.)

बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्यगण
पदाधिकारी उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ला	अध्यक्ष	✓
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	✓
03	श्री मन्मथसिंह लिवारी	सदस्य	✓
04	श्री नरेन्द्र कटवाहा	मानदाला सदस्य	✓
05	डॉ. अरविनेश शर्मा	विश्वकर्मिनिधि	✓
06	डॉ. सौमित्र लिवारी	विश्वकर्मिनिधि	✓
07	डॉ. लिलनकु राम पटेल	शिक्षक कर्मिनिधि	✓
08	डॉ. धर्मेश शर्मा	शिक्षक कर्मिनिधि	✓
09		अध्यक्ष निधि	✓
10	डॉ. अमृतसिंह सोनी	अध्यक्ष/पटेल सदस्य	✓

(169)

विषय:- जांच प्रतिवेदन पर विचार।

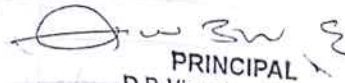
निर्णय :- दिनांक 24 मार्च 2023, संध्या 5.00 बजे महाविद्यालय प्रशासन समिति की आपाल बैठक संपन्न हुई। बैठक में महाविद्यालय में हुई वित्तीय अव्यवस्था (Financial Mismanagement) पर प्रशासन समिति द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन सभी कार्यों में प्राचार्य एवं मुख्य लिपिक उत्तरदायी हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि उनसे, जांच प्रतिवेदन पर, समिति के निष्कर्ष पर उनके सहमति/असहमति प्राप्त की जाए। इस कार्यवाही के दूरभ्यान प्राचार्य डॉ. ए. बी. सोनी बैठक में अनुपस्थित रहे।

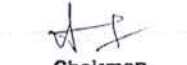
उपरोक्त निर्णय के पश्चात् डॉ. ए. बी. सोनी, प्राचार्य को समिति की बैठक में आमंत्रित किया गया तथा उनसे जांच समिति के निष्कर्ष पर उनकी सहमति/असहमति देने का निवेदन किया गया। प्राचार्य डॉ. ए. बी. सोनी ने जांच प्रतिवेदन का अवलोकन कर ~~समिति~~ समिति के निष्कर्ष पर अपनी सहमति व्यक्त की तथा अंदर व्यक्त किया।

उपरोक्त सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए समिति ने निर्णय लिया कि उपरोक्त गठित वित्तीय अव्यवस्था (Financial Mismanagement) के परिणाम स्वरूप महाविद्यालय को हुई क्षति की पूर्ति हेतु डॉ. ए. बी. सोनी, प्राचार्य तथा मुख्य लिपिक को (श्री श्रवण वस्त्रकार) मंहगाई भत्ता (प्राध्यापकों हेतु मूल वेतन का 30 प्रतिशत एवं कर्मचारियों हेतु 40 प्रतिशत) जो 10 जून 2019 की प्रशासन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राध्यापकों/कर्मचारियों को देने की स्वीकृति दी गई थी एवं प्राचार्य तथा

(163)

मुख्य विधिक को उपरोक्त महंगाई भत्ते का भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया था, से "स्थायी तौर पर वंचित किया जावे" एवं उपरोक्त निर्णय पर प्राचार्य एवं मुख्य विधिक से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रशासन समिति की बैठक की कार्यवाही पंजी में संलग्न किया जावे।
उपरोक्तानुसार वंचित जांच प्रकरण निराकृत किया जाता है।


PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)


Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

संलग्न सहमति पत्र



कार्यालय प्राचार्य

डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय,

सीपत रोड, अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

(Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Bajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
<https://dpvipralawcollege.ac.in> - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. - 9926165945, 9926138734 (O)

पत्र क्रमांक क्यू/2023

बिलासपुर, दिनांक- 24/03/2023

प्रति

माननीय अध्यक्ष महोदय,
एवं सदस्यगण प्रशासन समिति
डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

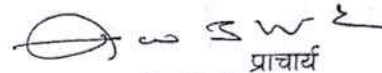
मान्यवर,

आज दिनांक 24 मार्च 2023 रांध्या 5.30 बजे प्रशासन समिति की आपात बैठक में एक मात्र विषय " जांच प्रतिवेदन पर विचार" के तहत माननीय सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जांच प्रतिवेदन में की गई टिप्पणी के अनुसार महाविद्यालय में हुई वित्तीय अव्यवस्था (Financial Mismanagement) हेतु प्राचार्य डॉ. ए.बी. सोनी उत्तरदायी है।

अतः महाविद्यालय को उपरोक्त वित्तीय अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति हेतु उन्हें 30 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान प्राप्त करने से स्थायी रूप से वंचित किया जावे, जो जून 2019 की प्रशासन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्राध्यापकों को दिये जाने की स्वीकृति कर दी गई थी एवं प्राचार्य को जांच समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय होने तक उपरोक्त वर्णित 30 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान रोकने का निर्णय लिया गया था।

मैं डॉ. अन्नूभाई सोनी प्राचार्य उपरोक्त निर्णय से सहमत हूं एवं हार्दिक श्रेद्ध व्यक्त करता हूं।

24. 03. 2023


प्राचार्य
PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

31st ऑक्टोबर विधि महाविद्यालय प्रशासन समिति
की आपात बैठक दिनांक 21 नवम्बर 2020 दिनु
शनिवार, स्थान जजार्प बरक - समय जंदा 4:00 बजे
निम्न परस्पर गण उपक्रम / अनुपक्रम रहे।

- 1 श्री अनुराग शुक्ला अध्यक्ष
- 2 श्री लुभाष मिश्रा सदस्य
- 3 श्री नंद किशोर तिवारी सदस्य
- 4 श्री. धर्मेन्द्र शर्मा शिक्षक प्रतिनिधि
- 5 श्री.

[Signature]
P

- 6 डा. मधुसिंहा शशनाल नि.वि. प्रतिनिधि
- 7 डा. पि. मोयी रानी रात नि.वि. प्रतिनिधि
- 8 श्री नरेन्द्र प्रधान स. सदस्य
- 9 डा. ए. बी. कोनी जजार्प / कनिष्ठ

[Signature]

सदस्यो से द्वारा निम्न विषय पर निर्देशोपरान्त निर्णय
लिखे गये

विषय - बार कौंसिल आन इंडिया के निर्देशानुसार एन
उनके आगामी निरीक्षण को ध्यान में रखते हुये प्राध्यापकों
की नियुक्ति एवं मूल्यो के तुरिष्ठ मंदगई मन्ते को सुधारने
एवं उनके पूर्व निर्णय से बकाया देने पर विचार

निर्णय - निर्णय लिया गया कि 17 प्राध्यापक विधि
एवं अन्य विषय हेतु नियुक्त किया जाये, एवं मूल्यो के
तुरिष्ठ मंदगई मन्ते की गणना को सुधारकर 50% से
हल्का पर 60% मंदगई मन्ता आगामी सत्र अगस्त
2021 से बिना बकाया (Agrements) के दिया जावे।
सदस्यो ने 17 प्राध्यापक विधि हेतु एवं 15 प्राध्यापक
के पदों की अन्य विषयो हेतु स्वीकृति दी।

[Signature]

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

[Signature]

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(15)

डी० पी० त्रिपु-विधि महाविद्यालय बिलासपुर के
प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 07
दिसम्बर 2020 सोमवार संदया 5:00 बजे
द्वान प्राचार्य ब डी. पी. त्रिपु विधि महा
विद्यालय अशोक नगर बिलासपुर में आयोजित
की गई, जिसमें निम्नलिखित अनुसार माननीय
सदस्यगण उपस्थित रहे/अनुपस्थित रहे।

कृमांड सदस्य का नाम पदनाम हस्ताक्षर
01 श्री अनुराग कुमार अध्यक्ष 1

02 श्री सुभाष मिश्रा सदस्य

03 श्री मन्द किशोर तिवारी सदस्य

04 श्री नरेन्द्र कदवाहा सदस्य

05 श्री धर्मेन्द्र शर्मा शिक्षक प्रतिनिधि

06 श्री तिलकराम पटेल शिक्षक प्रतिनिधि

07 श्री चिन्मयीरानी दाल वि० वि० प्रतिनिधि

08 श्री मधुलिका अग्रवाल वि० वि० प्रतिनिधि

09 श्री अन्वुभाई सोनी प्राचार्य/सचिव

10 निरंक

शासकीय प्रतिनिधि

11 श्री राजकुमार अग्रवाल विशेष आमंत्रित

12 श्री जी. पी. कौशिक विशेष आमंत्रित

विषय कृमांड - 01 मत बैठक की कार्यवाही की
पुष्टि करना

निर्णय - पुष्टि की गयी

विषय क्रमांक 02 :- जॉन प्रतिवेदन पर विचार किया जाना।

निर्णय :- जॉन प्रतिवेदन पर आगाशी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 03 :- शिक्षण समिति से लिये गये श्रृंग 7,90,000 = 00 (सात लाख नब्बे हजार) रुपये को वापस लिये जाने पर विचार :-

निर्णय :- प्राचार्य द्वारा यह जानकारी दी गई, कि महाविद्यालय द्वारा शिक्षण समिति से तीन अंशों पर कुल 7,90,000 = 00 रुपये का श्रृंग लिया गया था जिसे वापस करने की मांग सचिव एनम प्राचार्य डी.पी. विप्र त्वातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 187/ला. 2020 दिनांक 04.07.2020 के द्वारा की गई है। सर्वसम्मति से इस श्रृंग को वापस करने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 04 :- प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की बकाया राशि के शेष दो किश्तों को भुगतान करने पर विचार

निर्णय :- प्राचार्य के द्वारा जानकारी दी गई, कि विगत बैच दिनांक 19.06.2019 में लिये गये निर्णयानुसार प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों (प्राचार्य एवं श्रवण बस्नकार को छोड़कर) को तीस प्रतिशत मेंटगाई मत्ता पूरा वेतन पर दिया जा रहा है उपरोक्त मेंटगाई मत्ता दिये जाने की निधि (वास्तविक भुगतान तिथि) से एक वर्ष पूर्व (12 माह) से देय मानकर बकाया (अश्शेवम्) देने का भी निर्णय लिया गया था, उपरोक्त

बकाया के एक किश्त का भुगतान दिया जा चुका है, एवम दो किश्तों का भुगतान दिया जाना बाकी है। प्राचार्य द्वारा यह भी जानकारी दी गई, कि प्रत्येक वर्ष जुलाई माह से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी 2020 में नहीं दिया गया है, जो कि मूल वेतन का 3% (तीन प्रतिशत) होता है।

निर्णय लिया गया कि महंगाई भत्ते की बकाया राशि (दो किश्तों) का भुगतान प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को (प्राचार्य तथा श्रवण नरेश्वर को छोड़कर) कर दिया जावे, एवं 2020 हेतु देय वेतन वृद्धि का भी नियमानुसार जुलाई से गणना कर दिया जावे।

विषय क्रमांक: 05 - महाविद्यालय भवन में दूधे मरम्मत, निमणि इत्यादि की जानकारी देना एवं प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार निर्णय :- प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई, कि प्रथम तल के छत में मरम्मत, प्राचार्य कक्ष की सजावट एवं सी. सी. रोड निमणि पर 19,25,252.00 (उन्नीस लाख पच्चीस हजार दो सौ बावन) रुपये की राशि व्यय की गई है, एवं मुख्यालय के भीतर तथा बाह्य के खाली स्थान पर कमरों का निमणि कार्य दिया जाना है, पूरे भवन की पोताई का कार्य भी आवश्यक है। उपरोक्त समस्त कार्यों में अनुमानित बीस लाख (20,00,000.00) रुपये व्यय होने की संभावना है। निर्णय लिया गया कि मरम्मत, प्राचार्य कक्ष की सजावट, एवं सी. सी. रोड निमणि पर बिजे गये व्यय के हवी वृत्ति प्रदान की जाती है, एवं प्रस्तावित कार्यों को प्राक्कलन तैयार कर नियमानुसार

किये अपना करवाये जाने हेतु लीखति एवं अनुमति दी जाती है।

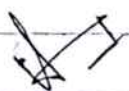
विषय क्रमांक 06 :- वर्तमान आवश्यकतानुसार महाविद्यालय में ई-क्लास रूम बनाये जाने पर विचार एवं आनलाईन लक्ष्यों की जानकारी देना।

निर्णय :- प्राचार्य द्वारा कोमिड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति से परिप्रेक्ष्य में शालन के निर्देशानुसार आनलाईन लक्ष्यों के लक्षित बिंदु जाने की जानकारी दी गई। यह भी सूचित किया गया कि वर्तमान आवश्यकतानुसार महाविद्यालय में ई-क्लास रूम बनाया जाना अनिवार्य है। निर्णय लिया गया कि तकनीकी सहायता लेकर प्रकल्प तैयार कर नियमानुसार ई-क्लास रूम बनाया जाना सुनिश्चित किया जाने।

विषय क्रमांक - 07 - उद्येश की अनुमति से आप विषय -

निरंक


PRINCIPAL
D.P. Vipra P.G. Law College
Bilaspur (C.G.)


Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

(158)

डी.पी. विप्र विधि महाविद्यालय प्रशासन समिति
की आपात बैठक दिनांक 12 मार्च 2022 समय
संवे 4:00 बजे, स्थान प्राचार्य लक्ष्मी, डी.पी.
विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर
बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्यगण
उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

क्रमांक	सदस्यगणों के नाम	पदनाम
01	श्री अनुराग शुक्ल	अध्यक्ष
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य
03	श्री नन्द किशोर तिवारी	सदस्य
04	श्री नरेन्द्र कल्याण	सदस्य
05	श्री डा० अरवि लेख शर्मा	सदस्य (वि. वि. प्रतिनिधि)
06	डा० सोमेश तिवारी	वि. वि. प्रतिनिधि
07	श्री तिलक राम पटेल	शिक्षक प्रतिनिधि
08	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	शिक्षक प्रतिनिधि
09		शासकीय प्रतिनिधि
10	डा० ए. बी. सोनी	प्राचार्य / सचिव

माननीय सदस्यों ने निम्न विषयों / बिन्दुओं पर
विचारोपयुक्त निर्णयानुसार निर्णय लिए।

विषय क्रमांक :- 01 गत बैठक की कार्यवाही
की पूर्ति करना

निर्णय - गत बैठक की कार्यवाही की पूर्ति
की गई।

विषय क्रमांक :- 02 सत्र 2021-22 के लिये
महाविद्यालय के आय व्यय अर्बन बजट
पर विचार

निर्णय :- प्राचार्य द्वारा सत्र 2021-22

हेतु बजा 2 प्रस्ताव दिया गया एवं आय तथा
प्रदानित एवं वापस में दिये गये व्यय
की विस्तार से जानकारी दी गई, तथा
बार कौंसिल आब इंडिया के निर्देशानुसार
अकाउंट्स व्यवस्था पर होने वाले कुछ प्रमुख
व्ययों की जानकारी दी, जिसमें निरीक्षा शुल्क
एवं Endowment फंड इत्यादि जमा दिये
जाने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
माननीय सदस्यों ने महाविद्यालय की
आर्थिक स्थिति पर संतुष्टि ज्ञातिर दी एवं
बजा 2 को सर्वप्रधान के अनुमोदित दिया।

विषय क्रमांक 3:- 03 बार कौंसिल आब इंडिया
के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण,
~~भवन~~ भवन परम्परा एवं आन्तरिक
नवीनीकरण दिने जाने पर विचार।

निर्णय :- प्राचार्य ने जानकारी दी
कि बार कौंसिल आब इंडिया द्वारा बी. काम,
एल. एल. बी. पंचनवीय पाठ्यक्रम प्रारंभ
होने की अनुमति जिन शर्तों पर दी गई है,
उसमें ई-लैबरेटरी, एवं नवीन बुकशेल्फ
निर्माण, स्पोर्ट्स क्लब इत्यादि की व्यवस्था
होने की वरदा गयी है। अतः महाविद्यालय
के वर्तमान भवन के प्रथम तल में आवश्यक
निर्माण कार्य तथा छात्रावास भवन में कुछ
आंतरिक परिवर्तन दिया जाना आवश्यक होगा
तथा ही छात्रावास भवन की सम्पन्न तथा
अल्प राशि कार्य दिये जाने हैं, ताकि भवन
की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। सदस्यों
ने उपरोक्त कार्य निश्चयानुसार करवाये
जाने का निर्णय लिया एवं प्राचार्य को

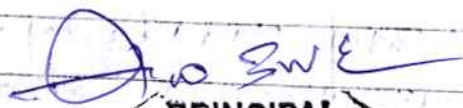
(168)

विधिवत कार्य करने अवकाश न देकर बाधे जाने
देने अनुमति दी।

विषय वृत्त :- 04 . प्रधानिद्यालय भवन
के पीछे स्थित भूखण्ड को नष्ट करने
पर विचार

निर्णय - सार्वजनिक ने विचारोपरान्त
निर्णय दिया, कि उपरोक्त भूखण्ड निश्चित
तौर पर प्रधानिद्यालय के भावी विस्तार हेतु
अवश्यक है, किन्तु नष्ट होने जाने का
निर्णय होने के पूर्व उपरोक्त भूखण्ड
की वैधानिक स्थिति तथा स्वत्व आदि
की विधिवत जानकारी प्राप्त की जावे
एवं तत्त्वज्ञान सिद्ध हो। भूखण्ड तत्पश्चात्
मूल्य निर्धारण कर आगामी बजट में
पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्त
कार्य हेतु प्राचार्य को अनुरोध किया जाता

है।
अन्तर्गत प्रस्ताव जटिल है।
की घोषणा की गई।



PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)



Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय निलातपुर
की उशासन समिति की आपात बैठक
दिनांक 26 सितम्बर 2022 समय
शुब 5:00 बजे, ज्ञान प्रचार्य कक्ष
डी० पी० विप्र विधि महाविद्यालय अशोक नगर
रूपत रोड निलातपुर (दरभंगा)

बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्य
गण / पदाधिशरी उपस्थित / अनुपस्थित
रहे।

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 01 श्री अनु राग शुक्ला | अध्यक्ष |
| 02 श्री सुभाष मिश्रा | सदस्य |
| 03 श्री नन्द किशोर तिवारी | सदस्य |
| 04 श्री नरेन्द्र लक्ष्मी | सदस्य |
| 05 डा० अरिबले शर्मा | सदस्य (वि.वि. प्रतिनिधि) |
| 06 डा० सीमित्र तिवारी | सदस्य (वि.वि. प्रतिनिधि) |
| 07 डा० तिलक राम प्रेम | सदस्य / शिक्षक प्रतिनिधि |
| 08 डा० धर्मेन्द्र शर्मा | सदस्य / शिक्षक प्रतिनिधि |
| 09 | शालकीय प्रतिनिधि |
| 10 डा० अन्नु माई होनी | प्रचार्य पदेन सचिव |

माननीय सदस्यगणों ने विचारोपरान्त
निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निम्नलिखित
अनुसार निर्णय लिया।

विषय क्रमांक 01 :- गुंजालय के बाजू में
महाविद्यालय के स्वागत के रवाली गेट
पर हाल / कक्ष का निर्माण किये जाने का
विचार।

निर्णय :- विचारोपरान्त सर्वसम्मति
से निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य हेतु
निपमानुका कार्यवाही की जाने तथा योग्यता
प्राप्त इंजीनियर / आर्किटेक्ट से नक्शा एवं

(160)

પ્રાવલ્લભન તૈયાર કર વિધિ વિધિવત નિમિત્તા
આમંત્રિત દિવા જાવે, અને જાપા નિમિત્તા પર
લક્ષ્ય લખિતિ દાવ વિન્યાર કર નિમિત્તા
કાર્ય કરનાવા જાવે। ઉપરોક્ત કાર્ય કે
અતિરિક્ત કાર્યમાત્ર દાલ અને ગુનાલપ કે
પુષ્પ મલ પર ની નિમિત્તાનુકાર નિમિત્તા કાર્ય
કિયે જાવે ની ની લ્લી લ્લી રી રાઈ।

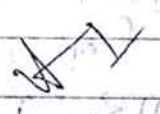
નિમિત્તા ક્રમાંક ૦૨ :- મહાવિદ્યાલાય પાંજર
મે લિખત લખ્યા દાલવાલ મલન કે અંતર
આવ શપડ મમત કરનાવે જાવે પર વિન્યાર

નિર્ણય લિખા ગાળા કે વિધિવત
પ્રાવલ્લભન તૈયાર કર નિમિત્તાનુકાર મરમ્મન
લ્લી કાર્ય કરનાવા જાવે।

પાંચાલ દાલ લખ્યા ત્રાડ જાપન કે કાલ
જાઈડ લખાલ રુઈ

 ૨૫

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)


Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

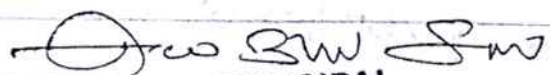
14/11

विषय क्रमांक 01:-

महानिधानय के द्वारा वेतन वृद्धि के
संबंध में रखे गये तत्त्व एवं मांग के
सन्दर्भ में विचार

निर्णय क्रमांक 01:-

प्राध्यापकों के द्वारा वेतन वृद्धि के सन्दर्भ
में रखे गये तत्त्वों एवं उनकी मांग पर
निर्णय दिया गया है। सर्वसम्मति से यह निर्णय
लिखा गया है विगत पाँच वर्षों (2012-13 से
2016-17) का महानिधानय के आय एवं
व्यय का परीक्षण एक समिति गठित कर
करवाया जाने, एवं उसी समिति के द्वारा
प्रस्तुत दिये जाने वाले प्रतिवेदन तथा वेतन
संबंधी अनुबंधों को आगामी बैठक में
प्रस्तुत दिया जाने, ताकि वेतन के संबंधों में
आनन्द रूप निर्णय लिया जा सके। आय व्यय
को ज्ञान हेतु ज्ञान समिति नियमित रूप से
गठित की गई। श्री सुभाष मिश्रा संयोजक
श्री नंद किशोर तिवारी कक्ष्य श्री धर्मेन्द्र शर्मा कक्ष्य



PRINCIPAL
D.P. Vipra P.G. Law College
Bilaspur (C.G.)



Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी० पी० मिश्र विधि महाविद्यालय प्रशासन समिति
(शाही निवास) की आपात बैठक
दिनांक 10 जून 2019 - स्थान - प्राचार्य कक्षा
डी० पी० मिश्र विधि महाविद्यालय, तिलालपुर

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ल	अध्यक्ष	
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	
03	श्री नन्दकिशोर तिवारी	सदस्य	
04	श्री नरेन्द्र कच्छवाहा	दानदाता सदस्य	
05	श्री सन्तोष ठाकुर	शिक्षक प्रतिनिधि	
06	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	शिद्दिक प्रतिनिधि	
07		वि. वि. प्रतिनिधि	
08		वि. वि. प्रतिनिधि	
09		शालकीय प्रतिनिधि	
10	डा० अन्नु भाई सोनी	प्राचार्य एवं पदेन सचिव	

मिशनरिय विषयों पर की प्राचार्य द्वारा
समिति के माननीय सदस्यों के समक्ष
विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

विषय क्रमांक 01 :- महाविद्यालय में प्रथम तल पर मिमिनी कमरे के प्दत का कार्य कराने, शौचालय का निर्माण कराने, आवश्यक परम्परा कार्य करवाने एवं रंग रोगन इत्यादि पर विचार -

निर्णय क्रमांक 01 :- माननीय सदस्यों ने मिमिनी परियोजना तकनीकी सलाह लेकर निश्चयानुसार कार्य करने अनुरोध करवाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रदान की।

विषय क्रमांक 02 :- महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना।

निर्णय :- माननीय सदस्यों के द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध में विचारित करने के पूर्व यह तथ्य लाया गया, कि प्रशासन समिति की पूर्व बैठक दिनांक 16.12.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार महाविद्यालय के आय-व्यय (पिछले पांच वर्षों का यथा 2012-13 से 2016-17 तक) का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, निर्णयानुसार इसी समिति को महाविद्यालय की आर्गिड समिति के अनुसार प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन वृद्धि हेतु भी आवश्यक सुझाव देने के अलावा प्रथम, उपरोक्त समिति के प्रतिवेदन का अवलोकन किया जाना उचित होगा, तदनुसार समिति के

इस जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जांच प्रतिवेदन पर प्रशासन समिति की आगामी बैठक में विचार दिया जावेगा, किन्तु महानिधालय के छात्रापकों एवं कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग पर सुदान प्रतिवेदन विचार करने दिये यह निर्णय लिया गया कि छात्रापकों को 30 प्रतिशत, मृत्वीध ओपी कर्मचारियों को 40% प्रतिशत तथा चतुर्ध ओपी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत मंहगाई पत्ता उनके मूल वेतन पर दिये जाने की अन्तरिम स्वीकृति दी जाती है, इसी प्रकार महानिधालय के तदर्थ कर्मचारियों के वेतन में निम्नानुसार वृद्धि करने की भी अन्तरिम स्वीकृति दी जाती है।

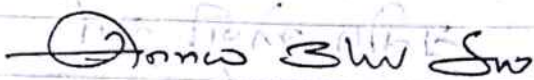
तदर्थ छात्रापक गण -	7500/से बढ़कर 8500/ प्रति माह
तदर्थ बुकलिफ्टर	4000 से बढ़कर 6000/ प्रति माह
तदर्थ मृत्वीध चौकीदार	5000 से बढ़कर 5500/ प्रति माह

प्राचार्य अन्नाभाईलोनी एवं मुख्य लिपिक अक्कावलकर को उपरोक्त वेतन वृद्धि का लाभ/प्रभाव प्रशासन समिति की आगामी बैठक में जांच प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् दिये निर्णयानुसार प्राप्त होगा।

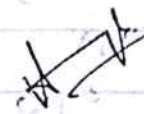
उपरोक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति अन्तरिम तौर पर प्रभावी होगी, अंतिम स्वीकृति आगामी शाली निष्ठा / प्रशासन समिति की बैठक के पश्चात् दिये गये निर्णयानुसार प्रभावी अमल मान्य की जाएगी। सदस्यों

(146)

ने विचारोपयुक्त यह भी निर्णय लिया
है कि विद्यापीठ के बाह्य छात्रों को
कुछ सुविधाएँ देनी होंगी जो कि
इन्हीं कर्मों पर पांच लाख रुपये
की विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत की जानी है।



Principal
D.P. Vipra P.G. Law College
Bilaspur (C.G.)



Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी० जी० विप्र विधि महाविद्यालय की प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 06 अक्टूबर 2019 दिन रविवार समय प्रातः 10 बजे, ज्ञान प्रचारक ई। बैठक में निम्न माननीय सदस्यगण उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	श्री अनुराग शुक्ल	अध्यक्ष	
02	श्री सुभाष मिश्रा	सदस्य	
03	श्री नरेन्द्र कदवाहा	सदस्य	
04	श्री मंदकिशोर तिवारी	सदस्य	
05			
06	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	विक्षक प्रतिनिधि	
07	डा० मधुलिका अग्रवाल	वि० वि० प्रतिनिधि	
08	डा० चिन्मयी रानी दास	वि० वि० प्रतिनिधि	
09			
10	डा० अब्दुल्लाह लोनी	प्रचार्य/सचिव	

निम्न विषय/विन्दुओं पर समिति के माननीय सदस्यों ने विचारोपरान्त निर्णय लिये।

विषय क्रमांक - 01 गत आपात बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना
निर्णय - 01 - कार्यवाही की पुष्टि की गई, एवं यह निर्णय लिया गया, डि-चूडि जांच समिति की रिपोर्ट माननीय सदस्यों के मध्य विचाराधीन है, अतः इस पर आगामी बैठक में निर्णय लिया जाना उचित होगा।

विषय क्रमांक 02:- महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश संख्या की जानकारी देना
निर्णय:- 02 प्रचार्य द्वारा निम्नानुसार जानकारी दी गई

1 बीएल, एल, एल, बी, प्रथम सेमेस्टर	120
2 एल, एल, बी भाग I प्रथम सेमेस्टर	278
3 एल, एल, एम, भाग I प्रथम सेमेस्टर	020

विषय क्रमांक 03 - नवीन पाठ्यक्रम बी, भाग, एल, एल, बी, प्रारंभ दिने जाने संबंधी प्रगति की जानकारी देना

148

निर्णय क्रमांक 03 :- प्राचार्य द्वारा जान का सी दी गई, कि
बी. काम, एल. एल. बी. पाठ्यक्रम प्रारंभ बिजे जाने हेतु शासन
एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनुमति प्राप्त हो गई है।
एवं प्रकरण अनुमति हेतु बार कौन्सिल आग इंडिया को भेजा
जा रहा है।

विषय क्रमांक 04 :- महाविद्यालय के प्रध्यापकों एवं
कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का बकाया (Arrears) का प्रथम
किश्त का भुगतान किये जाने का मत जान का सी देना

निर्णय क्रमांक - 04 :- प्राचार्य द्वारा जान का सी दी गई
कि कुल तीन किश्तों में नि माजिन बकाया राशि के
प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है, शेष दो
किश्तों का भुगतान भी सम्भाव्य शीघ्र ही कर दिया
जावेगा।

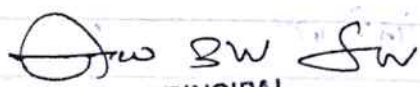
विषय क्रमांक 05 :- अध्यक्ष की अनुमति से अग
विषय

(अ) महाविद्यालय में निधि विषय पर सेमिनार
कराये जाने पर विचार

निर्णय लिया गया कि आगामी समय
में NAAC के निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक
क्षेत्र में कम से कम दो सेमिनार कर लाये जावें।

(ब) प्रत्येक के द्वारा मंजूर ई मतला निर्धारण में
हुई भुति (60% के स्नाय पर 50%) को सुधारने के
आवेदन पर विचार

निर्णय लिया गया कि प्राचार्य तत्त्वों से माननीय
अध्यक्ष को अवगत कराये गे, ताकि निर्णय लिया जा
सके।


PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)


Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

डी. पी. विपु विद्या महानि धालप प्रशासन
समिति की बैठक दिनांक 07 मार्च 2020 दिन
शनिवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान प्राचार्य
कार्यालय -

निम्न सदस्य गण उपस्थित / अनुपस्थित रहे।

- | क्रमांक | सदस्यो का नाम | पदनाम | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 01 | श्री अनुराग शुक्ल | अध्यक्ष | |
| 02 | श्री सुभाष मिश्रा | सदस्य | |
| 03 | श्री नंद किशोर तिवारी | सदस्य | |
| 04 | श्री नरेन्द्र लक्ष्मण | सदस्य | |
| 05 | श्री धर्मेन्द्र शर्मा | शिक्षक प्रतिनिधि | |
| 06 | श्री | शिक्षक प्रतिनिधि | |
| 07 | डा० मधुसिखा अग्रवाल | वि० वि० प्रतिनिधि | |
| 08 | डा० चिन्मयी रानी दास | वि० वि० प्रतिनिधि | |
| 09 | | शासकीय प्रतिनिधि | |
| 10 | डा० ए० बी० सेनी | प्राचार्य / ललित | |

माननीय सदस्यों के द्वारा विषयों पर विचारोपरान्त
निम्नानुसार निर्णय लिए गये

विषय क्रमांक 01 :- गत बैठक की कार्यवाही की प्रकृति करना
निर्णय क्रमांक 01 :- कार्यवाही की प्रकृति को गई, एवं
यह निर्णय लिया गया कि सदस्यों के आग्रह पर
जॉय समिति के रिपोर्ट पर आगामी बैठक में विचार
रिया जावे।

विषय क्रमांक-02 नवीन पाठ्यक्रम बी. काम. एल. एल. बी. के
संबंध में जानकारी देना

निर्णय क्रमांक 02 - प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई
कि बार कोसिल खान इंडिया द्वारा नवीन पाठ्यक्रम के प्रारंभ
पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण इस पाठ्यक्रम को
आगामी सत्र 2020-21 से प्रारंभ रिया जाना संभव
दिखायी नहीं दे रहा है।

विषय क्रमांक 03 :- प्राचार्य बंस को सुसज्जित
कराये पर विचार

150

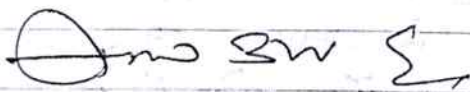
निर्णय नम्बर 03:- छात्रों ने प्रचार्य कक्ष को आधुनिक तरीके से सुसज्जित करने, प्राध्यापक कक्ष में आरक्षण फर्निचर की व्यवस्था करने, उद्यान को विकसित करने एवं जोतीदार के विकास हेतु भूतल में कक्ष निर्माण करने पर अपनी सहमति प्रदान की।

निर्णय नम्बर 04:- प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के F.P.F. अंशदान का अन्वय रखने में जमा हो-जाने की व्यवस्था पर विचार

निर्णय :- 4 - निर्णय लिया गया कि उज्जयिनी रुमल्पा का नियंत्रण श्री सगराम चन्दगरी की लक्ष्मी ले गीयु दिया जाने।

विषय नम्बर 05- अध्यापक की आयुश्रि के अन्वय विषय:-

कोई विषय प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्रचार्य के दैनिकीय आपन के काम बँधू लमाए होने की घोषणा की गई।



PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)



Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)